

पंजीकरण 2021 पुस्तिका

पंजीकरण
दिनांक 15 नवम्बर, 2021
से
15 दिसम्बर, 2021 तक

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के
सेक्टर-6 में विभिन्न प्रकार के
252 नग स्व वित्त पोषित
सेमीफिनिशड भवनो को प्राप्त करने

सुनहरा अवसर

रेरा पंजीकरण संख्या
UPRERAPRJ623188
website-www.up-rera.in



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Toll Free No. : 1800-180-5333; Website: www.upavp.com



परियोजना से संबंधित घोषणायें

- परियोजना स्थल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सेक्टर-6 मण्डोला विहार योजना, जनपद गाजियाबाद हेतु विधिवत अधिग्रहित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित ।
- परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित ।

योजना के विशेष आकर्षण

- मण्डोला विहार योजना दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709बी) पर स्थित है ।
- अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई०एस०बी०टी०) कश्मीरी गेट से 15 कि०मी० दूरी पर है ।
- शिव विहार मेट्रो स्टेशन से 9 कि०मी० की दूरी पर है ।
- इस्टर्न पैरिफिरेयल एक्सप्रेस वे से 8 कि०मी० की दूरी पर है ।
- दिल्ली की सीमा से मात्र 4 कि०मी० की दूरी पर है ।
- लोनी रेलवे स्टेशन से मात्र 8 कि०मी० की दूरी पर है ।



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) परिषद की विभिन्न योजनाओं के विक्रय हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड विकसित करना तथा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

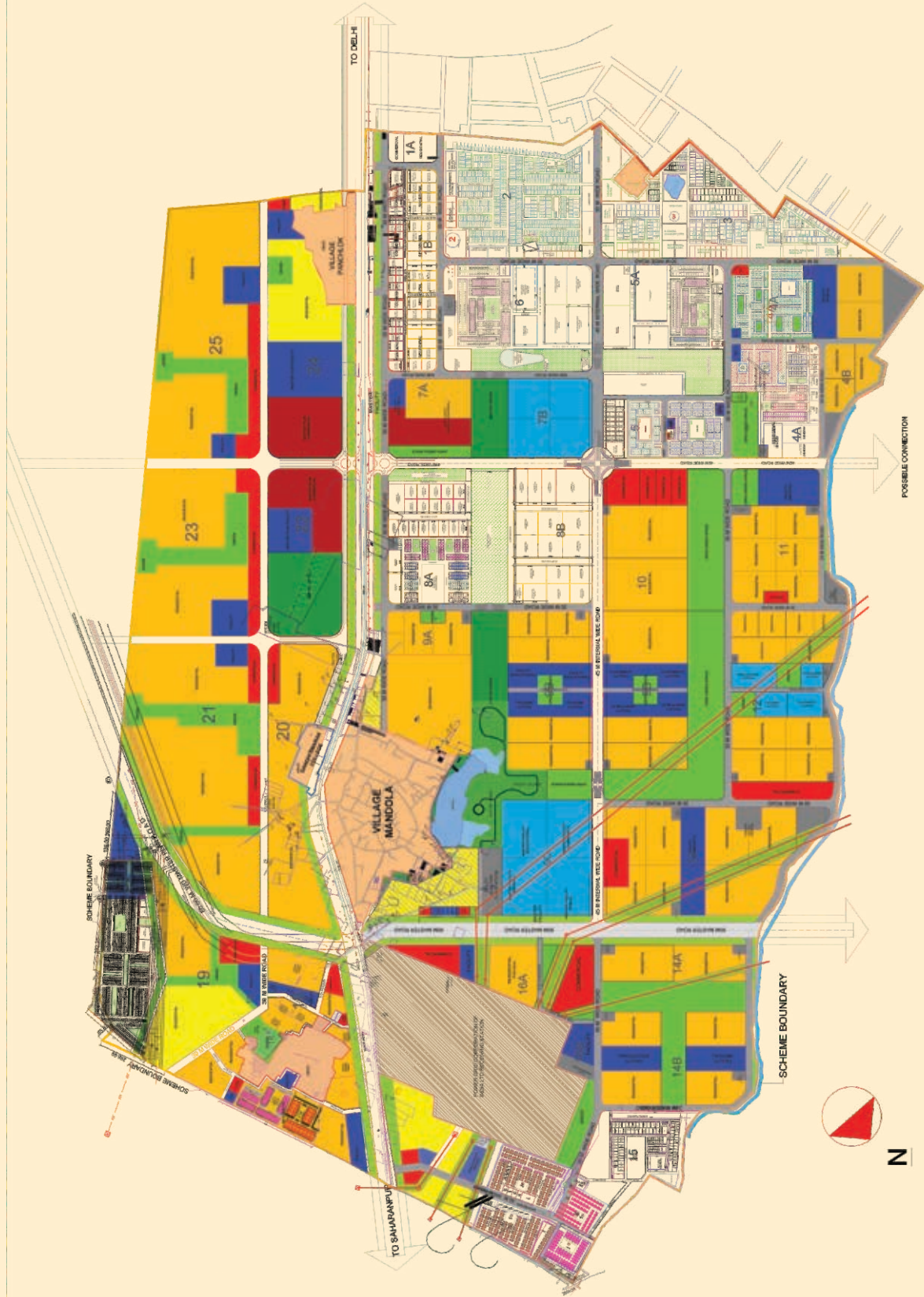
(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

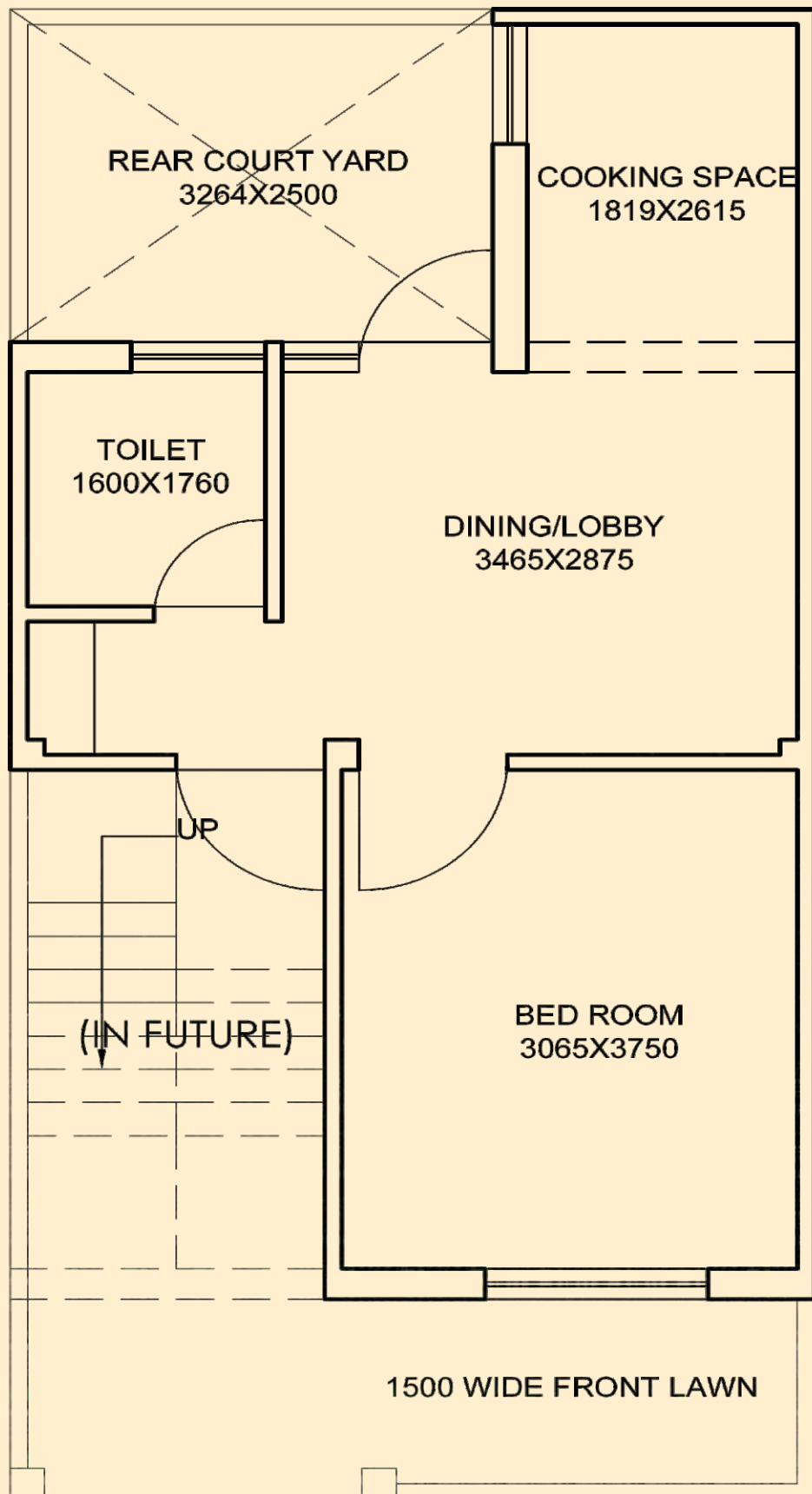
(फ) आवंटियों को सम्पत्ति क्रय करने के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे—विद्युत—आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पाकों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था कराना है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं। परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य परिषद विनियमावली में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

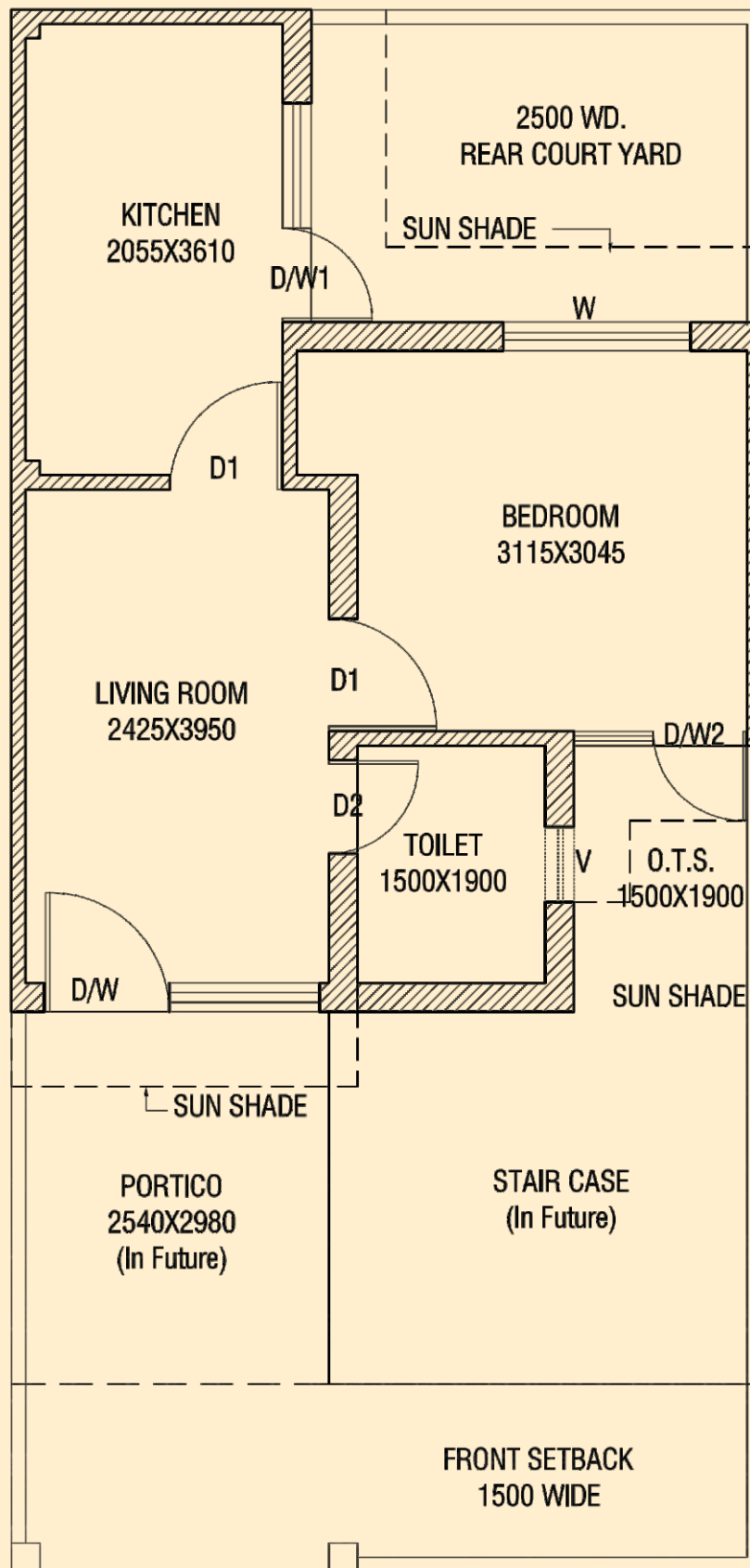


MANDOLA VIHAR YOJNA, GZB

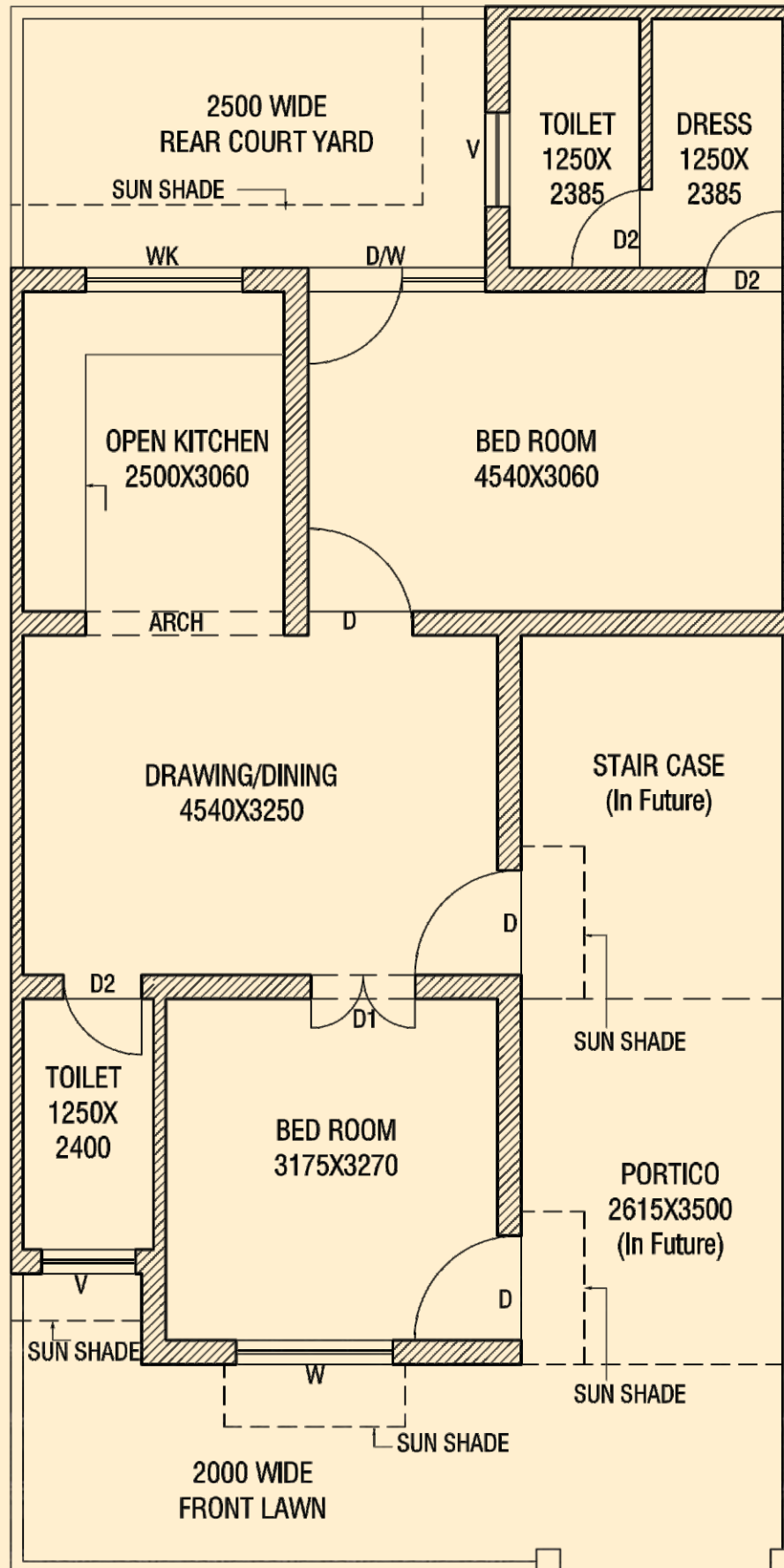
35/60 Type Design



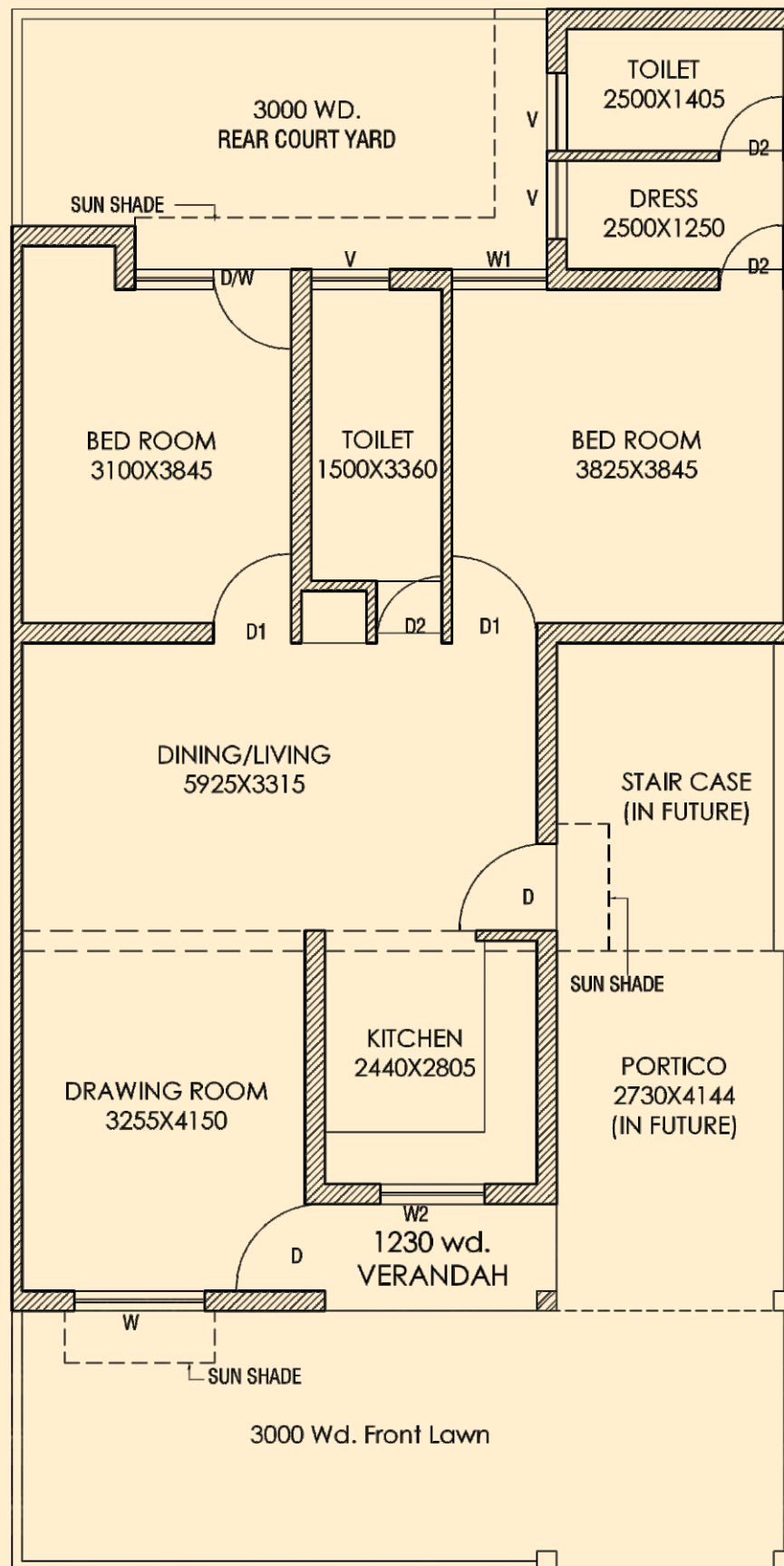
36/75 Type Design



66/112 Type Design



95/162 Type Design



मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-6 में 252 नग विभिन्न प्रकार के सेमीफिनिशड भवनो का विवरण

रेरा पंजीकरण संख्या—UPRERAPRJ623188

- परियोजना की अनुमानित लागत— ₹0 8968.00 लाख
- परियोजना प्रारम्भ की तिथि— 01.01.2022
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि—31.12.2023
- परियोजना में फ्लैट/भवन आवंटन/कब्जा की प्रस्तावित तिथि—31.12.2023

क्रम संख्या	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	अनुमानित मूल्य (₹0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (₹0 लाख में)	अवशेष धनराशि 8 तिमाही किश्तों में (₹0 लाख में)
1	मण्डोला विहार योजना	35 / 60	अल्प आय वर्ग	60	60.59	35.94	22.35	2.27	2.51
2		36 / 75	अल्प आय वर्ग	76	75.00	35.93	25.90	2.62	2.91
3		66 / 112	मध्यम आय वर्ग	60	112.50	66.80	40.40	4.08	4.54
4		95 / 162	मध्यम आय वर्ग	56	162.00	95.53	57.85	5.85	6.50

नोट—

- उक्त धनराशि के अतिरिक्त, भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अलग से देय होगा।
- भवन कार्नर होने की स्थिति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क अलग से देय होगा।
- नियमानुसार जी0एस0टी0 व अन्य कर अलग से देय होगा।
- पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” के नाम जो गाजियाबाद शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए।

प्राविधान/शर्तें

- तालिका में दर्शायी गयी भवनो की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- भवन की टाइप डिजाइन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है। अपरिहार्य कारणों वश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा विनियम और विकास अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस0बी0आई0 की ब्याज दर **MCLR (7.95%)+1%** अर्थात् 8.95 प्रतिशत **say 9.00%** के अनुसार उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि से परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये। “Force majeure” की स्थिति में एवं किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर यह भुगतान देय नहीं होगा। इस सम्बंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। इस संबंध में कोई विवाद मान्य न होगा।
- प्रत्येक आवंटी को वाटर/सीवर कनेक्शन हेतु रु0 7000.00 अतिरिक्त देय होगा। आवंटन/मांग पत्र में अतिरिक्त विविध व्यय के रूप में 0.25 प्रतिशत विज्ञापन शुल्क, रु0 354.00 अनुबन्ध हेतु तथा रु. 120.00 प्रति साईट प्लान हेतु अतिरिक्त देय होगा।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा। यदि उपरोक्त के कारण या अन्य कारणों से शुल्क में वृद्धि होगी तो वह आवंटी द्वारा देय होगी।
- भवनो का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- नगर पालिका/स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकल आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

भुगतान का तरीका

- 1.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण, पात्रता चयन होने पर बिक्री करार के निष्पादन पश्चात ही आवंटन/मांग पत्र निर्गत होगा।
- 1.2 पात्रता चयन के सफल आवेदको को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।

- 1.3 यदि आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, उसका पंजीकरण/आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गई धनराशि की वापसी परिषद नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज वापस की जायेगी।
- 1.4 पंजीकरण आवेदन के साथ सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा तथा पात्रता ड्रा में सफल होने के पश्चात एवं बिक्री करार के निष्पादन उपरान्त शेष 90 प्रतिशत धनराशि 08 त्रैमासिक किश्तों में बिना ब्याज देय होगा। किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर $MCLR (7.95\%) + 1\% = 8.95\%$ say 9.00% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।
- 1.5 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/RTGS/NEFT एवं ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो गाजियाबाद/दिल्ली शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। उक्त धनराशि हेतु प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही का जायेगी।

आवंटन नियम

- 2.1 प्राप्त आवेदकों के मध्य पात्रता चयन, सार्वजनिक लाटरी ड्रा से किया जायेगा।
- 2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षणोंपरान्त उसका निराकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 2.4 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकृत आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- 2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- 2.6 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- 2.7 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद

वेबसाईट www.upavp.in पर यथासम्भव उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस में प्रसारित कर दी जायेगी।

- 2.8 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी।
- 2.9 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2.10 सम्पत्तियों के नम्बरिंग ड्रा/पात्रता सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।
- 2.11 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 बहुमंजिले फ्लैट के आवेदकों के लिये सम्पत्ति सीमा/आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।
- 3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.6 मध्यम/उच्च आय वर्ग भवनो/स्व वित्त पोषित भवनो तथा भूखण्डो में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

आफलाइन पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि पूर्ण वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित, जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त रूप से पंजीकरण अनुमन्य है।
- 4.4 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस

लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

- 4.5 आवासीय सम्पत्ति हेतु चयनित आवेदक/आवंटी द्वारा मांग पत्र/आवंटन पत्र (जो भी पहले हो) के जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर सम्पत्ति निरस्तीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20.00 प्रतिशत तथा तीन माह के बाद आवेदन करने पर 50.00 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि NEFT/RTGS द्वारा आवेदक को वापस कर दी जायेगी तथा सम्पत्ति आगामी आवंटन में लगा दी जायेगी। इस शर्तों का उल्लेख आवंटन पत्र में भी किया जायेगा।
- 4.6 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।
- 4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी।
- 4.8 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त से योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
- 4.9 विकास कार्य एवं भौतिक कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू-सम्पदा विनियम एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही/क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण के नियम

- 5.1 आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Houses at mandola ghaziabad" पर क्लिक करना होगा।
- 5.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Houses at mandola ghaziabad" पर क्लिक करना होगा।
- 5.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारीयों भली-भाँति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- 5.4 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के RTGS/NEFT के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।
- 5.5 आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि/औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 5.6 परिषद के आवंटित फ्लैट्स की किश्तों को आनलाइन जमा करने की सुविधा परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के लिंक "Ledger view @ Online Payment" पर उपलब्ध है। कृपया इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ।

आरक्षण :

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियां ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदनपत्र के साथ जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गतप्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	---तदैव---
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	---तदैव---
4	मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें (ब) समुचित प्रमाण
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूल रूप में उपलब्ध करायें। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	वरिष्ठनागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/सेवानिवृत्तिप्रमाण-पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागूहोने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

5.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण को कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

5.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 6.1 भवनो में लाटरी ड्रा के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि यथासंभव एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

भवन का भौतिक कब्जा

- 7.1 पात्रता लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्रीकरार (Agreement to sale) निष्पादित / पंजीकृत कराना होगा।
- 7.2 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा 24 माह में दिया जायेगा।
- 7.3 आवेदक द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन / सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 7.4 प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर विलम्ब अवधि हेतु, रखरखाव शुल्क नियमानुसार प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त देय होगा।
- 7.5 कब्जा प्राप्त करने की तिथि से नियमानुसार जल शुल्क / यूजर चार्ज आवंटि द्वारा देय होगा।
- 7.6 बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन पत्र / मांग पत्र निर्गत होगा।
- 7.7 परिषद द्वारा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भवन का कब्जा न लेने पर आवंटि को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रु0 75 प्रतिदिन की दर से देय होगा।

तथ्यों को छिपाना

- 8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

- 9.1 विषयगत योजना आवासीय है। अतएव भवन का प्रयोग केवल आवासीय हेतु ही किया जायेगा। शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर विक्रय—विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा आवेदन उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- 9.3 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वालेवादों के लिए, सम्बंधित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।
- 9.4 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा—उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 9.5 किसी भी सम—सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले/नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
- आवेदन पत्र में नाम हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
- अंग्रेजी में सूचना भरते समय अपेक्षित है इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़ें अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। जैसे: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति—पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

- नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- आवेदन पत्र में, अंकित लिंग (SEX) कालम में पुरुष हेतु **M** एवं महिला हेतु **F** भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु **HW** भरें।
- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित “आरक्षण” नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी माना जायेगा। आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
शहर	कोड
गाजियाबाद	045
लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरुष	M
अन्य	T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW
भुगतान का तरीका	
किश्त	01
नकद	02
सम्पत्ति का प्रकार	आवासीय भवन

नोट:—आरक्षण वर्ग के आवेदकों को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आनलाइन/आफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	सम्बंधित अधिकारी	दूरभाष नं०
1	एच०डी०एफ०सी० बैंक 4/5 ओम प्लाजा सेक्टर-15सी वसुन्धरा, गाजियाबाद	श्री बिपिन दूबे	7520678486

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

इ० डी०वी० सिंह
अधीक्षण अभियन्ता
बागपत
मो० नं०: 8795810036

सुश्री शेरी
उप आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ
मो० नं०: 8795810007

इ० फराज असलम
अधिशाली अभियन्ता
नि०खं० बागपत-01
मो० नं०: 8795811694

इ० अतुल कुमार सिंह
अधिशाली अभियन्ता
नि०खं० बागपत-02
मो० नं०: 9711206126

इ० अमन त्यागी
अधिशाली अभियन्ता
नि०खं० बागपत-03
मो० नं०: 8795811683

श्री हेतम पाल सिंह
सहायक आवास आयुक्त
गाजियाबाद
मो० नं०: 8795811049

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां-जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार:-

इसमें स्वयं आवेदक/इच्छुक क्रेता, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

भवन:-

भवन का तात्पर्य आवासीय भवन से है।

सम्पत्ति:-

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित/निर्मित आवासीय भवन से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना):-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बंधित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरणपत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बंधित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर:-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य:-

उ0प्र0 राज्य की सेवा तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकाय में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:-

- 1- जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिए रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या वीरगति प्राप्त की हो।
- 2- जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य:-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य उ0प्र0 शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य:-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य:-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है, जिनकी न्यूनतम दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल/संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों, जिनकी दो वर्ष सेवा अवधि पूरी हो।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

MCLR+1% का तात्पर्य:-

दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस0बी0आई0 की MCLR से ब्याज की गणना की जायेगी।

(Marginal cost of funds based lending rate is in simple works. Fixed the interest rate on floating rate Loans)

**रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद**

शपथ-पत्र

समक्ष:-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री / श्रीमती / कु0.....पुत्र / पुत्री / पत्नी.....उम्र.....निवासी.....
.....भापथ पूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि :-

1. मैं एतद्द्वारा भापथ पूर्वक करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, भातों द ताओं, वि ष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे पति / पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं हैं। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूंगा / दूंगी।
4. मैं.....यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती.....जो रि ते में मेरे / मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती.....जो मेरे / मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा / करूंगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं आवंटन की समस्त भातों का पालन करूंगा / करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी भात का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराि ा जप्त कर लें।
7. मैं एतद्द्वारा भापथपूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

भापथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा भापथपूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं वि वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

भापथकर्ता के हस्ताक्षर

भवनों के आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

पंजीकरण आवेदन शुल्क ₹0 1000 / – (रुपये एक हजार) जी0एस0टी0 सहित आनलाइन जमा करना होगा।

आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक “Online Registration for houses” पर क्लिक करना होगा।

इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक पर क्लिक करना होगा।

आवेदक द्वारा सम्बंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारीयां भली-भांति पढ़कर “Apply Online” लिंक पर क्लिक किया जायेगा।

तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बंधित मुख्य जानकारीयां (Basic Information) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित भूखण्ड आदि विवरण आन-लाईन अपलोड/फीड किये जायेंगे।

उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।

'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाईन पंजीकरण से सम्बंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।

उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website www.upavp.com & click on link “Online Registration of Plots”
- ✓ Click on link “Registration Fee Payment” on concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button' Bank MOPS* will be available.
- ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

हमारा यही प्रयास - आपका अपना आवास

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है, जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल  करें:

1800-180-5333 (टोल फ्री)
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी परिषद के

टोल फ्री 1800-180-533 दूरभाष 0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 1000/- (जी.एस.टी. सहित)